कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस. बी. सिविल याचिका संख्या 11734/2017 हीरालाल संगीतरा बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 के संदर्भ में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 20.04.2022 को संबंधित सेवा नियमों एवं अभिलेखीय स्थिति के सम्बंध में देखा गया।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के आदेश दिनांक 21.03.2022 के द्वारा याचिकार्थी को निदेशक, माध्यमिफ शिक्षा, के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त अभ्यावेदन का नियमानुसार निस्तारित करने सम्बंधी निर्देश दिये गये हैं।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी का द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की वर्ष 1991–92 की अवधि हेतु जारी राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 976 पर नाम अंकित है तथा याचिकार्थी प्रथम नियुक्ति के समय एम.ए. अर्थशास्त्र की योग्यता धारित करता था। याचिकार्थी से कनिष्ठ कई कार्मिकों को व्याख्याता अर्थशास्त्र की चयन वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के प्रति एवं प्रधानाचार्य पद की चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयनोपरान्त पदोन्नति प्रदान की गई है, जबकि याचिकार्थी वरिष्ठ कार्मिक होते हुए भी उसे व्याख्याता अर्थशास्त्र की चयन वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के प्रति एवं प्रधानाचार्य पद की चयन वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयनोपरान्त पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः याचिकार्थी को कनिष्ठ कार्मिक के समान व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद पर डीपीसी से चयनित किया जाकर प्रधानाचार्य के पद पर चयन सम्बंधी परिलाभ प्रदान किये जावें।

अभिलेखीय स्थिति के अनुसार यह पाया गया कि याचिकार्थी का द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद ही वर्ष 1991–92 की अवधि हेतु जारी राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 976 पर नाम अंकित है तथा संबंधित वरिष्ठता सूची में एम.ए. अर्थशास्त्र 1986 योग्यता दर्ज है। याचिकार्थी द्वारा इनसे कनिष्ठ कई कार्मिकों को व्याख्याता अर्थशास्त्र की चयन वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयनोपरान्त पदोन्नति प्रदान किये जाने सम्बंधी किये गये कथन के सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है कि चयन वर्ष 2001–02 में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 में व्याख्याता अर्थशास्त्र पद की चयन वर्ष हेतु डीपीसी अभ्यांश की निर्धारित रिक्तियो की 50 प्रतिशत रिक्तियां योग्यता कोटे से एवं 50 प्रतिशत रिक्तियां वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरे जाने का प्रावधान था, चयन वर्ष 2001–02 में वरिष्ठता सह योग्यता कोटे की निर्धारित रिक्तियों के प्रति याचिकार्थी के समान वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी का वरिष्ठता क्रमांक 1158 अवधि 1985–86 रहा है, इस प्रकार याचिकार्थी के समान वर्ग वाले किसी भी कनिष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन नहीं किया गया है। याचिकार्थी द्वारा जिन कनिष्ठ कार्मिकों के व्याख्याता अर्थशास्त्र की चयन वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के प्रति चयन किये जाने कथन के सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिन कनिष्ठ कार्मिकों का चयन किया गया है, वे सभी उक्त चयन वर्ष में योग्यता कोटे की निर्धारित रिक्तियों के प्रति चयनित किये गये हैं, इनके चयन की तुलना याचिकार्थी से नहीं की जा सकती है। याचिकार्थी का चयन वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के प्रति चयन हेतु डीपीसी के समय निर्मित पात्रता सूची में क्रसं. 267 पर नाम सम्मिलित था, लेकिन याचिकार्थी नियमानुसार योग्यता कोटे की निर्धारित रिक्तियों के प्रति विचार योग्य नहीं पाया गया। याचिकार्थी नियमानुसार वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर व्याख्याता अर्थशास्त्र की चयन वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के प्रति चयन का पात्र बना एवं याचिकार्थी को उक्त चयन वर्ष की रिक्तियों के प्रति चयनित किया जाकर पदोन्नति प्रदान कर दी गई एवं व्याख्याता पद की निर्धारित वरिष्ठता अनुसार इन्हें प्रधानाचार्य पद की चयन वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के प्रति नियमानुसार चयनित किया जाकर पदोन्नति प्रदान कर दी गई।

अतः याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत तथ्यों का अभिलेखीय एवं नियमों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गहनतापूर्वक परीक्षण, मनन एवं विचारण करने के उपरांत अधोहस्ताक्षकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिकार्थी के द्वारा कनिष्ठ कार्मिकों के समान व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद की चयन वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के प्रति एवं प्रधानाचार्य पद की चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयन कर पदोन्नति लाभ प्रदान करने सम्बंधी की जा रही मांग नियमानुसार स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हों।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/ओएसी/एसबीसियासं.11734/हीरालाल संगीतरा/2017 दिनांक :- 20/06/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) उदयपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–विधि) जोधपुर
6. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा, ACP- कम्प्यूटर अनुभाग (वेबपोर्टल अपलोड बाबत)
7. संबंधित याचिकार्थी श्री हीरालाल संगीतरा प्रधानाचार्य, राउमावि, कनेरा ब्लॉक निम्बाहेडा जिला चितौडगढ (रजिस्टर्ड)
8. रक्षित पत्रावली

उप निदेशक(डीपीसी),
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

Scanned by CamScanner